संख्या-247 /2025/I/1021749/2025/005-23-6099/39/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के 08 सेतु के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत कतिपय क्षेत्रों के 08 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 479.41 लाख (रूपये चार करोड उन्यासी लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु) लखनऊ का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15157/CE-SEB/ RYB/ PRJ/ 2025-26 Dt- 03-07-2025	प्रा.ख. कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी मे सिराथू सराय अकिल मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-145) के किमी0-11 चैनेज 10.105 से 10.593 में स्थित पतौना पुल के बायीं ओर टू लेन ब्रिज एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	207/ 2023/ 1307/ 001-1307-23-10099/11/2023-दिनांक 25-10-2023	489.38 489.38 0.14 489.24	368.20	121.04	95.37	25.67	121.04
2	15158/CE-SEB/RYB/ BAR/2025 -26 Dt- 03-07-2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में गांव लालपुर से मिलक के मध्य अप्सरा नदी पर लोहे के जर्जर पुल के स्थान पर 3x12 मी. स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	22/2023/ 1544/23-10-22-03 (सेतु)/ 2022-दिनांक-03-02-2023	480.30 480.30 18.89 461.41	438.34	23.07	18.18	4.89	23.07
3	15159/CE-SEB/RYB/ GKP/ 2025-26 Dt- 03-07-2025	नि.ख.-3 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में विधानसभा कैम्पियरगंज में राप्ती नदी पर गेरूई रामकोला घाट पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	160/2023/ 941/001-941 -23-10 - 2023-37- सा0- 2023- दिनांक-06-09-2023	88.86 88.86 18.15 70.71	1.09	69.62	54.70	14.72	69.42

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	तदैव	नि.ख. देवरिया	जनपद देवरिया में मथुरा छापर एवं मुण्डेरा मिश्र के मध्य दोहरी नाले पर 2 गुणे 6 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुॅच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुॅच मार्ग के निर्माण कार्य।	204/2022/ 1482/001-1482-23-10-22-07 -सेतु-2022टीसी- दिनांक-27-12-2022	262.52 262.52 0.48 262.04	183.43	78.61	31.87	8.58	40.45
5	15160/CE-SEB/RYB/ MBD/2025-26 Dt- 03-07-2025	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में नहटौर नूरपुर अमरोहा जोया मार्ग(राज्य मार्ग-77) के किमी0-23 में बान नदी पर 2ग16 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुॅच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	206/2023/ 1250/23-10099 (099)-10-2023 दिनांक 25-10-2023	385.81 385.81 0.12 385.69	195.11	190.58	39.40	10.60	50.00
6	15162/CE-SEB/ RYB/ GON/ 2025-26 Dt- 03-07-2025	नि.ख.-1 बहराइच	जनपद बहराइच में विकास खण्ड हुजूरपुर में हुजूरपुर जगदीशपुर मार्ग से यादव मटेहिया वाया गंगटहिया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 5x3x3 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट (लघु सेतु) का निर्माण कार्य।	82/2025/ 673/23-6099 /7/ 2025-दिनांक 06-03-2025	95.14 95.14 0.17 94.97	1.21	93.76	23.64	6.36	30.00
7	तदैव	नि.ख.-1 बहराइच	जनपद बहराइच में विकास खण्ड हुजूरपुर में नकहरा अब्बोपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5x3x3 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट (लघु सेतु) का निर्माण कार्य।	82/2025/ 673/23-6099/7/ 2025-दिनांक 06-03-2025	97.17 97.17 0.15 97.02	1.23	95.79	24.42	6.58	31.00
8	तदैव	प्रा.ख. बहराइच	जनपद बहराइच में दोआबा सं0मार्ग के किमी0 1 में कटान के स्थान पर 5x4x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य	69/2025 /2186/23-6066/26 /2024-दिनांक 19-02-2025	122.12 122.12 0.05 122.07	1.54	120.53	90.16	24.27	114.43
कुल योग								**377.74**	**101.67**	**479.41**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,77,74,000 (रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,01,67,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) श्री राजेश प्रताप सिंह (संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in